

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपांकीट०अनु०-33/2012-

/कृ०, पटना, दिनांक

प्रेषक :

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

श्री राकेश झा,
मेसर्स रोहिणी बायो एग्रीकेम प्रा०लि०,
नियर प्राथमिक विद्यालय, ऑपोजिट शिवमंदीर,
चिपुरा खुर्द, सम्पतचक, पटना-53

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-46-47 दिनांक 31.07.2012 वैद्यता तिथि 31.12.2014 का नवीकरण की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपसे प्राप्त आवेदन, कोषागार चालान एवं अन्य संगत कागजातो तथा सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के तहत मेसर्स एग्री लैण्ड बायोटेक लि०, 36 प्रिंस इन्डस्ट्रीयल इस्टेट मोटा मोतिपुरा, जिला-बडौदा (गुजरात) द्वारा विनिर्मित निम्नलिखित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैद्यता तिथि के आलोक में अनुज्ञप्ति संख्या-46-47 दिनांक 31.07.2012 का नवीकरण दिनांक 31.12.2016 तक के लिए किया जाता है। साथ ही मेसर्स रोहिणी बायो एग्रीकेम प्रा०लि०, के कार्यालय (अनुज्ञप्ति संख्या-46 दिनांक 31.07.2012) का पता-शोभा सदन, छोटी पहाड़ी, अगमकुँआ, पटना से नियर प्राथमिक विद्यालय, ऑपोजिट शिवमंदीर, चिपुरा खुर्द, सम्पतचक, पटना-53 एवं गोदाम (अनुज्ञप्ति संख्या-47 दिनांक 31.07.2012) का पता-कांतिसदन, छोटी पहाड़ी, अगमकुँआ, पटना से नियर प्राथमिक विद्यालय, ऑपोजिट शिवमंदीर, चिपुरा खुर्द, सम्पतचक, पटना-53 किया जाता है।

क्र०	कीटनाशी का नाम	क्र०	कीटनाशी का नाम
1	Trichoderma viride 5% WP	5	Sulphur 80% WP
2	Azadirachtin 0.15% EC	6	Sulphur 40% S.C
3	Azadirachtin 0.03% (3wppm)	7	Gibberellic Acid Technial 90% w/w
4	Azadirachtin 1% (10000 PPM)		

2-उपर्युक्त कीटनाशियों का भण्डारण प्रतिष्ठान द्वारा कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 व विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा:- मेसर्स रोहिणी बायो एग्रीकेम प्रा०लि०, नियर प्राथमिक विद्यालय, ऑपोजिट शिवमंदीर, चिपुरा खुर्द, सम्पतचक, पटना-53

3- यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4- अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण /विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6- अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7- नियम 10 बी० के तहत सल्फर के लिए अलग बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चो होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

8- अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमें एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी

9- कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या-46-47 दिनांक 31.07.2012 मूल रूप से संलग्न है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(धर्मेन्द्र सिंह)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक २२२)

/कृ०, पटना, दिनांक१६.. मई, 2015

प्रतिलिपि- (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान), बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी), बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु


कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

(२)
19-5-2015